न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना आई.ए.एस
राजस्व वाद प्रकरण सं0 25 / 2000 GCMS No 2000 / 00014
दायरा तिथि : 26.05.2000
निर्णय तिथि : 14-09-2022

वादी :–

कन्हैयालाल पुत्र शंकरलालजी जाति ब्राहमण
निवासी भन्दर तहसील बाली जिला पाली (राज0)

ब ना म

प्रतिवादी :–

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

उपस्थितिः–

1. श्री हिम्मत धनेरा .... अभिभाषक वादी की ओर से
श्री ललितकुमार नायब तहसीलदार ...पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांकः 14-09-2022

वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
सपठित धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। वादी ने वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्व प्रतिवादी पेश कर ग्राम भन्दर के गत् खसरा नंबर 466 में खरीद शुदा भूखण्ड 61X 22 फुट से मौका स्थिति अनुसार बने हाल खसरा नंबर 975 मेंसे 61X 8 फुट भूमि का खातेदार दुरस्ती के माध्यम से दर्ज किये जाने के साथ प्रतिवादी के विरूद्व सार्वकालिक निषेधाज्ञा की डिक्री पारित किये जाने का निवेदन किया। अपने वादपत्र में वादी द्वारा इसके निम्न आधार बताये गयेः–

1. कि वादी द्वारा उक्त भूमि 37 वर्ष पहले खरीद की गई परन्तु उस समय छोटे भूखण्डो की रजिस्ट्री नहीं होने से दिनांक 12.02.1997 को रजिस्ट्री वादी के पक्ष में करवाई गई। वादी ने अपने खरीद शुदा 61X 22 फुट के प्लौट ईटों की दीवार भी खरीद के समय निकाल दी थी। परन्तु भूमिधारी तहसीलदार, बाली ने वादी को भंदर के हाल खसरा नंबर 975 रकबा 4.55 हैक्टर में 0.02 हैक्टर भू0भाग पर अतिक्रमी मानते हुये बेदखली का नोटिस दिया। जबकि वादी द्वारा खरीद शुदा भूखण्ड ग्राम भन्दर के गत् खसरा नंबर 466 रकवा 02 बीघा 17 बिस्वा से बने हाल खसरा नंबर 981 / 4653 मेंसे पुर्वी व उत्तरी कोने की भूमि पर पुर्व –पश्चिम भू0 भाग पर काबिज है। भन्दर के हाल खसरा नंबर 981 / 4653 व 475 की भूमियाँ अडोअड स्थित होने से भू0प्रबन्ध विभाग द्वारा गत् खसरा नंबर से नये खसरा नंबर कायम करते हुये निम्नानुसार त्रुटि करना बतायाः–

गत खसरा नंबर	रकबा	हाल खसरा नम्बर	राजस्व रेकर्ड में दर्ज रकबा	कमी / बेशी
466	2 बीघा 17 बिस्वा	981 / 4693	0.44 हैक्टर	0.02 हैक्टर कम दर्ज
451	12 बिस्वा			
467	08 बिस्वा ⯈ 20 बिस्वा	975	0.24 हैक्टर	0.08 हैक्टर बेशी दर्ज

भू0 प्रवन्ध विभाग द्वारा गत् रेकर्ड से नया रेकर्ड संधारित करते समय उपरोक्तानुसार त्रुटि करने से वादी के खरीद शुदा भूमि गत् खसरा नंबर 466 का रकबा 0.02 हैक्टर कम दर्ज करते हुये रास्ता की भूमि गत् खसरा नंबर 451 व 467 कुल रकवा 20 बीघा से बने हाल खसरा नंबर 975 का रकबा 0.08 हैक्टर बेशी दर्ज करते हुये वादी के खरीद शुदा भूमि को रास्ता की भूमि में मिला दिया है। भू0प्रबन्ध विभाग द्वारा की गई उक्त कार्यवाही अधिकार क्षैत्र से परे होने से भू0प्रबन्ध विभाग की त्रुटि को दुरस्त कर वादी को भंदर के गत् खसरा नंबर 466 रकवा 02 बीघा 17 बिस्वा के भू0भाग मेंसे वादी के खरीद शुदा भू0खण्ड 61x22 फुट मेंसे हाल खसरा नंबर 975 रास्ता में सम्मिलित की गई भूमि 61x8 फुट 0.02 हैक्टर की घोषणा खातेदारी के साथ प्रतिवादी के विरूद्व सार्वकालिक निषेधाज्ञा की डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। वाद पत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि में खतौनी संवत् 2048 से 2051 की प्रति, खतौनी संवत् 2032 से 2035 की प्रति, मौका फर्द दिनांक 11.08.2000, मौका फर्द दिनांक 18.01.1998, विक्रय विलेख दिनांक 12.02.1997, कलक्टर पाली का फैसला दिनांक 16.02.1999, फैसला उपखण्ड अधिकारी बाली दिनांक 29.06.1999, फैसला तहसीलदार, बाली दिनांक 28.02.1999, प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट. दिनांक 25.02.1999 की प्रतियॉ पेश की गई। इन अभिलेखीय साक्ष्यो के अतिरिक्त बतौर मौखिक साक्ष्य गवाह p.w.-01 वादी स्वयं कन्हैयालाल एवं गवाह p.w.-02 जवानमल गवाह p.w.-03 जीवनसिंह पटवारी हल्का, भंदर के बयान कलमबद्ध कराये गये। वादी के वादपत्र का प्रतिवादी पक्ष द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादी द्वारा खरीद की गई भूमि खसरा नंबर 981 / 4693 का सह खातेदारो के मध्य विभाजन नहीं हुआ था, तथा बिना विभाजन के एक सह खातेदार एक विशेष भू0 भाग का बेचान नहीं कर सकता। जिससे विक्रय विलेख अपुर्ण व विधि विरूद्व होने से वादी किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता। प्रतिवादी पक्ष द्वारा जवाबदावे में मुख्य आपत्ति यह ली गई कि वादी जिस भूमि की दुरस्ती के माध्यम से खातेदारी प्राप्त करना चाह रहा है

पेज लगातार.......02

उपखण्ड अधिकारी
बाली जिला-पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

राजस्व वाद प्रकरण सं0 25/2000 GCMS No 2000/00014
अनवान कन्हैयालाल बनाम राज.सरकार वगैरा
***वाद अंतर्गत धारा* 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**
सपठित धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

वह भूमि रास्ते की भूमि होने से धारा 16 टिनेन्सी एक्ट. में वर्णित प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि है। जिससे वादी का वाद खारिज किये जाने का निवेदन किया गया। प्रतिवादी पक्ष की ओर से बतौर मौखिक साक्ष्य गवाह D.W.-01 श्री मगनलाल बोहरा के बयान कलमबद्ध कराये गये। प्रकरण में दोनो पक्षो की साक्ष्य समाप्त होने के पश्चात् वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 26 नियम 09 सपठित धारा 151 सी.पी. सी. पेश कर मौका रिपोर्ट मंगाये जाने का अनुरोध किया गया। जिस प्रार्थना पत्र को न्यायालय द्वारा वकुलाय की बहस के पश्चात् दिनांक 05.04.2022 को स्वीकार करते हुये तहसीलदार, बाली से मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, भंदर ने जांच कर निम्नानुसार रिपोर्ट पेश की :–

1. हाल खसरा नंबर 981/4693 रकबा 0.44 हैक्टर वर्तमान में ग्राम भन्दर के खाता नंबर 444 में दर्ज है जो राजस्व रेकर्ड अनुसार नरेश, चन्द्रिका, तारा, निरूपा सोहनलाल पिसरान् नेनमल ,मंजुला पत्नि नेनमल 1/6 जवानमल पुत्र छोगाराम 1/6 बाबुलाल, भरतकुमार, श्रवणकुमार पिसरान् रणछोडलाल पानी पत्नि रणछोडलाल 1/6 भंवरलाल, रमेशकुमार, सुलोचना पिसरान् लच्छीराम संतोषी पत्नि लच्छीराम 1/6 शंकरलाल पुत्र राजाराम 1/6 अमृतलाल दत्तक पुत्र रूपाराम 1/12 ममला पत्नि शैलेष कुमार बोहरा 1/12 कौम ब्राहमण सा. देह खातेदार के नाम दर्ज है।
2. उक्त खसरे के उत्तर दिशा में खसरा नंबर 975 किस्म गै.मु. रास्ता रकबा 0.24 हैक्टर राजस्व रेकर्ड अनुसार दर्ज है। जो रास्ता खसरा नंबर 620(S.H. 62) से गांव की मुख्य आबादी खसरा नंबर 985 तक आता है।
3. मौके पर उक्त रास्ते पर R.C.C. रोड बना हुआ है एवं उक्त रास्ता वर्षो से उपयोग में आ रहा है एवं उक्त रास्ते की चौडाई औसत 16 फीट है।
4. खसरा नंबर 981/4693 के अधिकांश भाग पर वर्तमान में लम्बे समय से घर बन चुके हैं जिसमें लोग निवासरत है। एवं वादी कन्हैयालाल पुत्र शंकरलाल जी जाति ब्राहमण निवासी भन्दर का भी उक्त खसरे में भूखण्ड है।
5. रास्ता (खसरा नंबर 975) जो चल रहा है वो बन्दोवस्त समय के पहले से चल रहा है जिसकी औसत चौडाई 16 फीट है, यदि उसमें वादी को 0.02 हैक्टर यानी 8X61फुट की खातेदारी दी जाती है तो उक्त रास्ता बेहद संकरा हो जायेगा

अपनी रिपोर्ट के साथ पटवारी हल्का, भंदर द्वारा दिनांक 25.05.2022 को मौके पर बनाई गई मौका फर्द की प्रति भी पेश की गई।

प्रकरण में तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का भंदर की मौका जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर वकुलाय की बहस सुनी गई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन से हस्तगत् प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य हैं कि वादी द्वारा जिस भूमि की खातेदारी घोषणा की मांग की जा रही है, वह भूमि ग्राम भंदर के हाल खसरा नंबर 981/4693 रकबा 0.44 हैक्टर में स्थित है, तथा खरीद शुदा भू0खण्ड का क्षेत्रफल 61X22=1342वर्गफुट है। जो पंजिबद्ध विक्रय विलेख के द्वारा खरिदशुदा है। परन्तु 8X61फुट भूमि वर्तमान अधिकार अभिलेखो में हाल खसरा नंबर 975 गै.मु. रास्ते का भाग है, जिससे वर्णित भूमि प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि होने से वादी के खातेदारी घोषणा के अनुतोष को स्वीकार नहीं किया जा सकता। परन्तु प्रकरण यह भी स्वीकार्य तथ्य है कि वादी के खरीद शुदा भूखण्ड खसरा नंबर 981/4693 रकबा 0.44 हैक्टर के शेष भाग पर अन्य लोगो के मकानात बने हुये है एवं रास्ता की भूमि पर सी.सी. रोड बना हुआ है, जो रास्ता वर्षो से लोगो के अवागमन के लिये मौके पर उपलब्ध है, एवं वादी के खरीद शुदा भू0खण्ड 22X61फुट संपुर्ण पर वादी का कब्जा है। जिससे माफिक रिपोर्ट तहसीलदार, बाली मौके की यथा स्थिति कायम रखने के आदेश दिये जाते है। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। आदेश प्रति तहसीलदार, बाली को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना)
आई.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

उपखण्ड अधिकारी
बाली जिला पाली (राज.)

निर्णय आज दिनांक 14-09-22 को खुल्ले न्यायालय सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

उपखण्ड अधिकारी
बाली,जिला-पाली (राज.)

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner